सम्मुख विनोद एस. भारद्वाज, जे.

सतीश - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

सीआरएम-एम. संख्या 29454 - 2017

30 मई, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धाराएं 156 (3), 246 (6), 311 और 482 - भारतीय दंड संहिता, 1860 – धाराएं 323, 324, 506 और 34 - शिकायतकर्ता का साक्ष्य बंद - शिकायतकर्ता द्वारा इस आधार पर अतिरिक्त साक्ष्य देने के लिए आवेदन कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया - शेष गवाहों की जांच की अनुमति-आरोपी द्वारा आपराधिक संशोधन - आयोजित, सीआरपीसी की धारा 311 की भाषा यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किसी भी पक्ष के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति वह आधार नहीं है जिसके लिए इस तरह के क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाना है - आवश्यक पूर्व-आवश्यकता केवल यह है कि इस तरह के साक्ष्य न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं- सीआरपीसी की धारा 311 द्वारा प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए -इस प्रकार, सीआरपीसी की धारा 311 के तहत गवाहों के साक्ष्य की जांच करने की मांग मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक नहीं दिखाया गया है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि गवाहों की गवाही की अनुपस्थिति किसी भी तरह से सत्य के निर्धारण में विफलता का कारण बनेगी, बल्कि ऐसे गवाहों की परीक्षा लेने का प्रयास अभियोजन के मामले में कमियों को भरने का प्रयास प्रतीत होता है - शिकायतकर्ता किसी भी गंभीर पूर्वाग्रह या न्याय की विफलता को स्थापित करने में विफल रहा जो गवाहों की जांच के बिना के कारण होता - इसलिए, अतिरिक्त सबूतों की जांच के लिए आवेदन की अनुमति दी जाती है और शेष गवाहों को दरकिनार (रद्द) किया जाता है।

माना गया कि ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) के लिए यह आवश्यक था कि वह जांच किए जाने वाले सबूतों की आवश्यकता पर ध्यान दे और यह कि क्या ऐसे गवाहों की गवाही विवाद के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है। एक बार जब ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उक्त साक्ष्य की जांच आवश्यक है, तो यह उक्त परिस्थिति में है कि सीआरपीसी की धारा 311 **के** तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाना है। सीआरपीसी की धारा 311 की भाषा यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किसी भी पक्ष के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति ऐसा आधार नहीं है कि इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाए। ।आवश्यक पूर्व-आवश्यकता केवल यह है कि न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए इस तरह के साक्ष्य आवश्यक हैं। सीआरपीसी की धारा 311 द्वारा प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि शक्ति जितनी अधिक होगी, सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक होगी।

(पैरा 16)

सतीश बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत जिन गवाहों के साक्ष्य की जांच करने की मांग की गई है, वे मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक नहीं हैं और यह भी स्पष्ट नहीं है कि गवाहों की गवाही की अनुपस्थिति किसी भी तरह से सच्चाई के निर्धारण में विफलता का कारण बनेगी। बल्कि, ऐसे गवाहों से पूछताछ करने का प्रयास अभियोजन पक्ष के मामले में कमियों को भरने का एक प्रयास प्रतीत होता है। प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता किसी भी गंभीर पूर्वाग्रह या न्याय की विफलता को स्थापित करने में विफल रहा है जो गवाहों से पूछताछ न करने के कारण होगा। (पैरा 21)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमन धीर।

कंवर संजीव कुमार, ए. ए.जी हरियाणा।

अजय घंघास, अधिवक्ता, विक्रांत हुड्डा अधिवक्ता के लिए
प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से।

विनोद एस. भारद्वाज। जे.

(1) वर्तमान याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बहादुरगढ़, जिला झज्जर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2017 (अनुलग्नक पी-6) को चुनौती देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (इसके बाद 'सीआरपीसी' के रूप में संदर्भित) की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करती है, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2-शिकायतकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 246 (6) और 311 के तहत दायर आवेदन को आपराधिक शिकायत संख्या 526 दिनांक 19.11.2012, शीर्षक 'सुनील बनाम रति राम और अन्य' में स्वीकार किया गया है।

(2) मामले के योग्यता पर ध्यान देने से पहले, जिन तथ्यों पर विचार किया जाना आवश्यक है, वे ये हैं कि प्रतिवादी संख्या 2-शिकायतकर्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बहादुरगढ़, जिला झज्जर के समक्ष सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन दायर किया था। उक्त आवेदन को भारतीय दंड संहिता 1860 (इसके बाद 'आईपीसी' के रूप में संदर्भित) की धारा 323, 324, 506 और 34 के तहत एक शिकायत मामले के रूप में माना गया था। प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता ने खुद सहित तीन गवाहों की जांच करते हुए प्रारंभिक साक्ष्य पेश किए। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 2-शिकायत की ओर से 06.12.2008 को प्रारंभिक साक्ष्य को बंद कर दिया गया। याचिकाकर्ता को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ दिनांक 28.08.2010 के आदेश (अनुलग्नक पी-2) के अनुसार उक्त अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था। इसके बाद, पूर्व-आरोप साक्ष्य का नेतृत्व प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता द्वारा किया गया, जिसमें उन्ही 3 गवाहों से फिर से पूछताछ की गई

और उन पर विचार करने पर आदेश दिनांक 03.01.2014 (अनुलग्नक पी-3) द्वारा धारा 323 आईपीसी के साथ पठित धारा 34 आईपीसी और धारा 506 आईपीसी के तहत आरोप तय तय किए गए। प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) के समक्ष एक बयान दिया कि आरोप-पूर्व साक्ष्य के चरण में उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य को आरोप के बाद के साक्ष्य के हिस्से के रूप में पढ़ा जा सकता है। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी बयान दिया कि आरोप-पूर्व चरण में पहले से ही की गई जिरह को आरोप-पश्चात साक्ष्य के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। नतीजतन, ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) ने शिकायतकर्ता की गवाही को बंद कर दिया। इसके बाद प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता ने इस आधार पर अतिरिक्त साक्ष्य की जांच करने के लिए सीआरपीसी की धारा 246 (6) के साथ पठित धारा 311 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और शिकायतकर्ता को धारा 246(6) सीआरपीसी के तहत शेष गवाहों से पूछताछ करने का अधिकार है। जिन गवाहों से नंबर 2-शिकायतकर्ता ने पूछताछ करने की मांग की, वे हैं: -

1. विकास पुत्र जीवन लाल
2. बिट्टू पुत्र जवाला प्रसाद
3. तिलक राज पुत्र जवाला प्रसाद
4. नरेश पुत्र तारा चंद

(3) उपरोक्त आवेदन को ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) ने आदेश दिनांक 14.07.2017 (अनुलग्नक पी -6) के माध्यम से अनुमति दी थी और उक्त आदेश को वर्तमान याचिका में अवैध रूप से और वैधानिक प्रावधान के साथ-साथ याचिकाकर्ता-अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह का मूल्यांकन किए बिना पारित किया गया है।

(4) याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) यह समझने में विफल रही है कि वकील द्वारा दिए गए एक बयान पर पक्षों की गवाही को बंद कर दिया गया था और उक्त आदेश को कभी भी किसी भी पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। इसके अलावा, मामला पहले से ही बचाव साक्ष्य के लिए तय किया गया था और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत वह बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका था। याचिकाकर्ता ने इस प्रकार अपने बचाव का खुलासा किया है और कहा है कि निचली अदालत द्वारा इस तरह से दी गई अनुमति प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता को अपने मामले में सुधार करने और खामियों को भरने की अनुमति देने के बराबर है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता द्वारा जिन गवाहों से पूछताछ करने की मांग की गई थी, उनका नाम प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत गवाहों की सूची में पहले से ही था और किसी भी और गवाह से पूछताछ नहीं करने का निर्णय एक सचेत निर्णय था। ऐसा कोई नया तथ्य सामने नहीं आया है

जिसके लिए आवेदन को अनुमति देने की आवश्यकता होगी और यहां तक कि आवेदन भी किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता है कि प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता ने प्रारंभिक चरण में उक्त गवाहों से पूछताछ करने का विकल्प क्यों नहीं चुना और यह भी कि आपराधिक शिकायत में न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उक्त गवाहों का बयान क्यों आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, विकास, बिट्टू और तिलक शिकायतकर्ता के भाई हैं, जिनके बारे में दावा किया गया है कि वे शोर/अलार्म सुनकर घटना स्थल की ओर आकर्षित हुए थे। याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन में संदर्भित अन्य गवाह नरेश पुत्र तारा चंद, के बारे में दावा किया गया है कि वह शिकायतकर्ता के पिता को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लेकर आया था।

(5) यह तर्क दिया गया कि गवाहों की गवाही एक सबसे अच्छा परिस्थितिजन्य गवाही है जिसे पुष्टि करने वाले साक्ष्य के रूप में पेश किया जाना चाहिए। उनकी जाँच से किसी भी उद्देश्य को आगे बढ़ाने की संभावना नहीं है और इससे केवल निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही में देरी होगी।

(6) इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा की गई प्रार्थना का हरियाणा राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने विरोध किया है। उनका कहना है कि कि ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) द्वारा एक विस्तृत आदेश पारित किया गया है और और यह देखा गया है कि उक्त आवेदन की अनुमति देने और उक्त गवाहों की जांच करने की अनुमति देने से याचिकाकर्ता के हित पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। यह भी देखा गया है कि चूंकि उक्त गवाहों का नाम पहले से ही शिकायत में था, इसलिए यह याचिकाकर्ता के खिलाफ एक नया मामला शुरू करने या अभियोजन पक्ष के मामले में किसी कमी को भरने के बराबर नहीं होगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि न्याय के हित को संतुलित करने की आवश्यकता है और याचिकाकर्ता को होने वाले किसी भी भौतिक पूर्वाग्रह के अभाव में, विचाराधीन आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए।

(7) प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता श्री अजय घंघास ने राज्य के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क को पूरक किया और प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को उक्त गवाहों से जिरह करने का उचित अवसर मिलेगा और वह किसी भी पूर्वाग्रह का दावा नहीं कर सकता है। यह आगे तर्क दिया गया है कि त्वरित न्याय का अधिकार न्याय के उद्देश्यों का स्थान नहीं ले सकता है और किसी शिकायत के शीघ्र निपटान की प्रक्रिया में, न्याय का बलिदान नहीं किया जाना चाहिए।

(8) मैंने पक्षों की ओर द्वारा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना और उनकी सक्षम सहायता से रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(9) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने सीआरपीसी की धारा 246(6) और 311 के तहत के तहत प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते हुए कहा है कि:

11. अब वर्तमान आवेदन के माध्यम से, शिकायतकर्ता चार गवाहों विकास, बिट्टू, तिलक और नरेश से पूछताछ करना चाहता है । यह उल्लेख करना उचित है कि इन सभी व्यक्तियों को विशिष्ट संदर्भ मिलता है और शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत के पैरा नंबर 3 और पैरा नंबर 5 में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया है कि वे कथित घटना के दिन मौके पर मौजूद थे । शिकायत में कहा गया है कि शिकायतकर्ता का शोर सुनकर विक्की उर्फ विकास, बिट्टू और तिलक मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर उन्होंने शिकायतकर्ता को आरोपियों से बचाया । इसके अलावा, नरेश घायल शिकायतकर्ता को चिकित्सा उपचार के लिए सिविल अस्पताल, बहादुरगढ़ ले गया । इस प्रकार, मेरी राय में, उपरोक्त गवाह महत्वपूर्ण हैं जिनका साक्ष्य वर्तमान मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक है । इसके अलावा, यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इन सभी गवाहों के नाम गवाहों की मूल सूची में भी उल्लिखित हैं, जिसे शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत के साथ दायर किया था ।

12. इसके अलावा, आरोपियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें उपरोक्त गवाहों से जिरह करने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे।

(10) सीआरपीसी की धारा 246(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय XIX के अंतर्गत आती है जो एक मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामले की सुनवाई से संबंधित है । सीआरपीसी की धारा 246 किसी आरोपी को बरी नहीं किए जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है । सीआरपीसी की धारा 246 की उपधारा 6 शेष गवाहों के साक्ष्य को दर्ज करने से संबंधित है । प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान इस प्रकार निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

246. प्रक्रिया जहाँ अभियुक्त को आरोपमुक्त नहीं किया जाता है।

(1) यदि, जब ऐसा साक्ष्य लिया गया है, या मामले के किसी पूर्व चरण में, मजिस्ट्रेट की राय यह मानने के लिए आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के तहत एक अपराध किया है, जिसका मुकदमा चलाने के लिए मजिस्ट्रेट सक्षम है और जिसे, उसकी राय में, उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, तो वह आरोपी के खिलाफ लिखित रूप से आरोप लगाएगा ।

(2) फिर आरोप को पढ़ा जाएगा और आरोपी को समझाया जाएगा, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह अपराध स्वीकार करता है या उसके पास बचाव के लिए कोई विकल्प है।

(3) यदि अभियुक्त अपराध स्वीकार करता है, तो मजिस्ट्रेट याचिका दर्ज करेगा, और अपने विवेक से उसे दोषी ठहरा सकता है।

(4) यदि अभियुक्त पैरवी करने से इनकार करता है, या पैरवी नहीं करता है या मुकदमा चलाने का दावा नहीं करता है या यदि अभियुक्त को उप-धारा (3) के तहत दोषी नहीं ठहराया गया है, तो उसे मामले की अगली सुनवाई के प्रारंभ में, या यदि मजिस्ट्रेट लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए उचित समझता है, तो तुरंत यह बताना आवश्यक होगा कि क्या वह किसी की प्रतिपरीक्षा (जिरह) करना चाहता है, और, यदि ऐसा है, तो अभियोजन पक्ष के गवाहों में से कौन सा, जिसका साक्ष्य लिया गया है।

(5) यदि वह कहता है कि वह ऐसा चाहता है, तो उसके द्वारा नामित गवाहों को वापस बुला लिया जाएगा और जिरह और पुन: परीक्षण (यदि कोई हो) के बाद, उन्हें बरी कर दिया जाएगा।

(6) अभियोजन पक्ष के लिए बचे हुए किसी भी गवाह का साक्ष्य आगे लिया जाएगा, और जिरह और पुन: परीक्षण (यदि कोई हो) के बाद, उन्हें भी बरी कर दिया जाएगा।

इस प्रकार यह धारा किसी आरोपी के खिलाफ आरोप तय होने के बाद दो-चरणीय प्रक्रिया का प्रावधान करती है । सीआरपीसी की धारा 245(5) प्रावधान के तहत एक आरोपी को एक विकल्प का उपयोग करने का अधिकार देता है जहां वह अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह से जिरह करना चाहता है, जिसका साक्ष्य पहले ही लिया जा चुका है और आरोपी द्वारा इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग करने की स्थिति में, ऐसे गवाह को वापस बुलाया जाएगा और उससे आगे की जिरह या दोबारा जांच, जैसा भी मामला हो, किया जा सकता है । इसमें आगे विचार किया गया है कि इसके बाद, शेष गवाहों से पूछताछ की जानी आवश्यक है।

(11) अध्ययन पर स्पष्ट रूप से लगता है कि ट्रायल कोर्ट (विचारण न्यायालय) का आदेश अभियोजन पक्ष द्वारा अपने आवेदन में उद्धृत शेष गवाहों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पूछताछ करने की अनुमति देता है, हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 2-शिकायतकर्ता ने एक बयान दिया कि वह किसी अन्य गवाह से पूछताछ नहीं करना चाहता है । उक्त बयान विधिवत दर्ज किया गया था और उस पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि वह उक्त गवाहों में से किसी से भी आगे जिरह नहीं करना चाहते हैं । उक्त बयान के आधार पर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद कर दिया गया और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया गया गया । यद्यपि उक्त पहलू याचिका या विवादित आदेश में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, फिर भी, उक्त तथ्य विशेष रूप से याचिकाकर्ता द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बहादुरगढ़ के समक्ष धारा 246 (6) और सीआरपीसी की 311 धारा के तहत आवेदन में दायर जवाब में विशेष रूप कहा गया है और इसे बहस के समय पर भी उठाया गया था।

(12) प्रतिवादी के वकील द्वारा उक्त चरण पर विवाद नहीं किया गया था और इस प्रकार यह माना जाता है कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। जबकि सीआरपीसी की धारा 246 दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XIX का एक हिस्सा है जो वारंट मामले में मुकदमे से संबंधित है और अभियोजन के साक्ष्य से संबंधित है। इसके बाद सीआरपीसी की धारा 247 बचाव में साक्ष्य से संबंधित है। सीआरपीसी की धारा 313 अध्याय XXIV के तहत परीक्षणों के बारे में सामान्य प्रावधानों का एक हिस्सा है। उक्त प्रावधान नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

313. अभियुक्त की जाँच करने की शक्ति।

(1) प्रत्येक जांच या मुकदमे में, अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, न्यायालय –

(क) किसी भी स्तर पर, अभियुक्त को पहले चेतावनी दिए बिना, उसके ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जो न्यायालय आवश्यक समझता है;

(ख) अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ किए जाने के बाद और उसे अपने बचाव के लिए बुलाए जाने से पहले, मामले पर आम तौर पर उससे पूछताछ करेगा: बशर्ते कि किसी समन-मामले में, जहां न्यायालय ने अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त कर दिया है, वह खंड (बी) के तहत उसकी जांच भी समाप्त कर सकता है।

(2) जब अभियुक्त से उप-धारा (1) के तहत पूछताछ की जाती है तो उसे कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी।

(3) अभियुक्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करके या झूठे उत्तर देकर स्वयं को दंड का भागी नहीं बनाएगा।

(4) अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों को ऐसी पूछताछ या परीक्षण में ध्यान में रखा जा सकता है, और किसी अन्य जांच में या किसी अन्य अपराध के लिए परीक्षण में उसके पक्ष में या उसके खिलाफ साक्ष्य में रखा जा सकता है, जो ऐसे उत्तरों से पता चलता है कि उसने किया है।

उक्त धारा में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की जांच/समापन के बाद, उससे उसके बचाव के लिए बुलाए जाने से पहले उसके खिलाफ लाए गए साक्ष्य के बारे में पूछताछ की जाएगी। चीजों की योजना में, सीआरपीसी की धारा 311, धारा 313 से पहले आती है, लेकिन इसे व्यापक महत्व यह मानते हुए दिया गया है कि यह न्यायिक विवेक की संतुष्टि और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए लागू किया गया है।।

(13) अतः, इसलिए, उक्त क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए प्रेरक शक्ति यह है कि मामले के उचित निर्णय के लिए ऐसे गवाह की परीक्षा आवश्यक है या नहीं। इसलिए, गवाहों के महत्व को समझने के लिए, उन पैराग्राफों का संदर्भ देना आवश्यक है जहां उक्त गवाहों के नाम, यदि कोई हो, तो ऐसे गवाहों की जांच की आवश्यकता को निर्धारित करते हैं। शिकायत के पैराग्राफ 3 और 5 का प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार निकाला गया है: -

> "3. XXXXXXX. अपीलकर्ता ने खुद को बचाने के लिए 'बचाओ बचाओ' की आवाज़ लगायी और शोर सुनकर अपीलकर्ता के भाई विक्की और बिट्टू और तिलक पुत्र जवाला प्रसाद, जो मध्यस्थता करके वहाँ से गुजर रहे थे, ने उपरोक्त अभियुक्त से अपीलकर्ता को छुड़ाया, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। (.....)
>
> 5. अपीलकर्ता के पिता जीवन लाल, नरेश पुत्र तारा चन, बिट्टू, तिलक और साहिब सिंह आदि बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए, जहाँ उनकी चिकित्सा जांच और एमएलआर नं.जी.एच./बी.जी./49/08 दिनांक 11.09.2008 तैयार कर अपीलकर्ता के दाहिनी ओर कुल्हाड़ी लगने से हुए घाव का टांके लगाकर उपचार किया गया। एमएलआर की प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।"

(14) इस अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जहां तक गवाहों विकास, बिट्टू और तिलक का सवाल है, याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए शोर/अलार्म को सुनकर उक्त गवाह उस स्थान की ओर आकर्षित हुए थे। निश्चित रूप से, उक्त गवाह उस घटना के घटित होने के बाद ही मौके पर आए जो पहले ही हो चुकी थी। घायल/शिकायतकर्ता स्वयं गवाह-बॉक्स में उपस्थित हुआ है और जिन गवाहों से पूछताछ करने की मांग की गई है, वे किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत नहीं करते हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष का मामला उन गवाहों के साक्ष्य के अभाव में विफल हो जाएगा, जो विचाराधीन घटना घटने और घायल होने के बाद घटनास्थल की ओर आकर्षित हुए थे। उक्त गवाह घटना के गवाह नहीं हैं। किसी भी मामले में जब एक बार घायल/शिकायतकर्ता पहले ही गवाह-बॉक्स में प्रवेश कर चुका है, तो उक्त गवाहों के साक्ष्य किसी भी तरह से अभियोजन साक्ष्य में कोई गुणात्मक अंतर नहीं डाल सकते हैं। उक्त गवाहों का बयान किसी भी तथ्य या घटना को पहले से दिए गए साक्ष्य से बेहतर साबित नहीं करते है।

(15) इसके अलावा, जहां तक नरेश के साक्ष्य का सवाल है, कहा जाता है कि वह प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता को अस्पताल लाने के लिए जीवन लाल और अन्य लोगों के साथ गया था । शिकायतकर्ता-प्रतिवादी के पिता जीवन लाल के साथ-साथ उपस्थित डॉक्टर की शिकायतकर्ता द्वारा पहले ही पूछताछ की जा चुकी है । इसलिए, कथित गवाहों की गवाही भी किसी नए तथ्य को स्थापित करने की प्रवृत्ति नहीं रखती है । यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त गवाहों से पूछताछ करने में विफलता न्याय का उपहास करेगी या न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

(16) ट्रायल कोर्ट (विचारण न्यायालय) के लिए यह आवश्यक था कि वह जाँच किए जाने वाले साक्ष्य की आवश्यकता पर ध्यान दे और यह कि क्या ऐसे गवाहों की गवाही विवाद के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है । एक बार जब ट्रायल कोर्ट (विचारण न्यायालय) इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए उक्त साक्ष्य की जांच आवश्यक है, तो उक्त परिस्थितियों में ही सीआरपीसी की धारा 311 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए । सीआरपीसी की धारा 311 की भाषा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि किसी भी पक्ष के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह का अभाव ऐसा आधार नहीं है जिसके लिए इस तरह के क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाए । आवश्यक पूर्व-आवश्यकता केवल यह है कि न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के साक्ष्य आवश्यक हैं । सीआरपीसी की धारा 311 द्वारा प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए । यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जितनी अधिक शक्ति होगी, सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी।

(17) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 04.07.2013 को निर्णयित 2013 की आपराधिक अपील संख्या 830 ***राजाराम प्रसाद यादव*** बनाम ***बिहार राज्य*** के फैसले में सीआरपीसी की धारा 311 पर विचार करते हुए एक ट्रायल कोर्ट (विचारण न्यायालय) द्वारा ध्यान में रखे गए विभिन्न सिद्धांतों को निर्धारित किया । फैसले के प्रासंगिक उद्धरण को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

> 23. साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 के साथ पठित सीआरपीसी की धारा 311 के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय, हमें लगता है कि न्यायालयों को निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगाः
>
> क) क्या न्यायालय का यह सोचना सही है कि उसे नए साक्ष्य की आवश्यकता है? क्या धारा 311 के तहत मांगे गए साक्ष्य को न्यायालय द्वारा किसी मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए नोट किया गया है?
>
> ख) सीआरपीसी की धारा 311 के तहत व्यापक विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्णय तथ्यों की अव्यवस्थित, अनिर्णायक काल्पनिक प्रस्तुति पर नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

ग) यदि न्यायालय के समक्ष किसी गवाह का साक्ष्य मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है, तो न्यायालय को ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाने और जांच करने या वापस बुलाने और फिर से जांच करने की शक्ति है।

घ) सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल सच्चाई का पता लगाने या ऐसे तथ्यों के लिए उचित प्रमाण प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, जिससे मामले का न्यायसंगत और सही निर्णय हो सके।

ङ) उक्त शक्ति के प्रयोग को अभियोजन मामले में कमी को पूरा करने के रूप में नहीं करार दिया जा सकता है, जब तक कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट न हो जाए कि न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग से अभियुक्त पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी।

च) व्यापक विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए न कि मनमाने ढंग से।

छ) न्यायालय को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि मामले के न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचने के लिए ऐसे गवाह से पूछताछ करना या उसे आगे की जांच के लिए वापस बुलाना हर तरह से आवश्यक था।

ज) सीआरपीसी की धारा 311 का उद्देश्य एक साथ न्यायालय पर सत्य का निर्धारण करने और न्यायसंगत निर्णय देने का कर्तव्य अधिरोपित करता है।

झ) न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अतिरिक्त साक्ष्य इसलिए आवश्यक नहीं है कि इसके बिना निर्णय सुनाना असंभव होगा, बल्कि इसलिए कि ऐसे साक्ष्य पर विचार किए बिना न्याय विफल हो जाएगा।

ञ) विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय स्थिति की अनिवार्यता, निष्पक्षता और अच्छी समझ सुरक्षित रक्षक होने चाहिए। न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि विचारण में किसी भी पक्ष को त्रुटियों को सुधारने से रोका नहीं जा सकता है और यदि उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था या किसी भी असावधानी के कारण प्रासंगिक सामग्री को अभिलेख पर नहीं लाया गया था, तो न्यायालय को ऐसी गलतियों को सुधारने की अनुमति देने के लिए उदार होना चाहिए।

ट) न्यायालय को इस स्थिति के प्रति सचेत होना चाहिए कि आखिरकार मुकदमा मूल रूप से कैदियों के लिए है और न्यायालय को यथासंभव निष्पक्ष तरीके से उन्हें अवसर देना चाहिए।

तर्क की उस समानता में, अभियुक्त की कीमत पर संभावित पूर्वाग्रह से अभियोजन पक्ष को बचाने के बजाय अभियुक्त को अवसर मिलने के पक्ष में गलती करना सुरक्षित होगा। न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी विवेकाधीन शक्ति का अनुचित या मनमौजी प्रयोग अवांछनीय परिणाम दे सकता है।

ठ) अतिरिक्त साक्ष्य किसी भी पक्ष के विरुद्ध कपटवेश में या मामले की प्रकृति को बदलने के लिए प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए।

ड) शक्ति का प्रयोग यह ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की संभावना है, वे संबंधित मुद्दे के लिए प्रासंगिक होंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दूसरे पक्ष को खंडन का अवसर दिया जाए।

ढ) इसलिए, सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्ति का उपयोग न्यायालय द्वारा इसे केवल मजबूत और वैध कारणों से न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लागू किया जाना चाहिए और इसका उपयोग सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि निष्पक्ष सुनवाई में आरोपी, पीड़ित और समाज का हित शामिल है और इसलिए, संबंधित व्यक्तियों को निष्पक्ष और उचित अवसर प्रदान करना एक संवैधानिक लक्ष्य होने के साथ-साथ एक मानवीय लक्ष्य भी होना चाहिए।

(18) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2021 की आपराधिक अपील संख्या 267 ***वी. एन. पाटिल*** बनाम ***के. निरंजन कुमार*** के मामले में 04.03.2021 को निर्णय दिया कि मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए साक्ष्य की अनिवार्यता सीआरपीसी की धारा 311 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए एक निर्धारक कारक है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः-

क. सीआरपीसी की धारा 311 का दायरा जो वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"311. महत्वपूर्ण गवाह को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने की शक्ति-कोई भी न्यायालय, इस संहिता के तहत किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकता है, या उपस्थित किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है, भले ही उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया हो, या पहले से ही पूछताछ किए गए किसी भी व्यक्ति को वापस बुला सकता है और फिर से पूछताछ कर सकता है; और न्यायालय ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाएगा और पूछताछ करेगा या वापस बुलाएगा और फिर से जांच करेगा यदि उसका साक्ष्य मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।"

सतीश बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

खं. सीआरपीसी की धारा 311में अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि मूल्यवान साक्ष्य को अभिलेख पर लाने किसी भी पक्ष की गलती या दोनों ओर से जांचे गए गवाहों के बयानों में अस्पष्टता छोड़ने के कारण न्याय में विफलता नहीं हो सकती है । निर्धारक कारक यह है कि क्या यह मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक है । जो महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति होती है वह है "इस संहिता के तहत किसी भी जांच या मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी स्तर पर"। हालाँकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमेशा कहा जाता है " शक्ति जितनी व्यापक होगी, विवेकपूर्ण विवेक का प्रयोग करते समय सावधानी की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी ।"

ग. सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्ति के प्रयोग से संबंधित सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा विजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2011(8) एससीसी 136 में अच्छी तरह से तय किया गया है।

"17. यद्यपि धारा 311 न्यायालय को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करती है और इसे यथासंभव व्यापक शब्दों में व्यक्त किया जाता है, उक्त धारा के तहत विवेकाधीन शक्ति का उपयोग केवल न्याय के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है । विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग संहिता के प्रावधानों और आपराधिक कानून के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना चाहिए । धारा 311 के तहत प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा बताए गए कारणों के लिए न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से या स्वेच्छा से । विद्वान विशेष न्यायाधीश को अदालत की गवाह के रूप में श्रीमती रुचि सक्सेना से पूछताछ करने का निर्देश देने से पहले, उच्च न्यायालय ने विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारणों की जांच नहीं की कि अदालत के गवाह के रूप में उनकी जांच करना क्यों आवश्यक नहीं था और बिना कोई कारण बताए विवादित निर्देश दिया।"

4. इस सिद्धांत को मन्नान शेख और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य 2014(13) एससीसी 59 में और उसके बाद रतनलाल बनाम प्रहलाद जाट और अन्य 2017 (9) एससीसी 340 और स्वपन कुमार चटर्जी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2019 (14) एससीसी 328 में दोहराया गया है। स्वपन कुमार चटर्जी (सुप्रा) के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं: -

"10. इस धारा का पहला भाग जो अनुज्ञात्मक है, आपराधिक न्यायालय को विशुद्ध रूप से विवेकाधीन अधिकार देता है और उसे संहिता के तहत जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में तीन तरीकों में से एक में कार्य करने में सक्षम बनाता है,

अर्थात्, (i) किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाना; या (ii) उपस्थित किसी व्यक्ति से पूछताछ करना, भले ही उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया हो; या (iii) पहले से जांचे गए किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाना और फिर से पूछताछ करना। दूसरा भाग, जो अनिवार्य है, अदालत पर (i) समन करने और जांच करने या (ii) ऐसे किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाने और दोबारा जांच करने का दायित्व डालता है, यदि उसका साक्ष्य मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

11. यह अच्छी तरह से तय है कि धारा 311 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग अदालत द्वारा केवल न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। शक्ति का प्रयोग केवल मजबूत और वैध कारणों के लिए किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। इस धारा के तहत अदालत को न्याय के हित में आवश्यक, दोबारा जांच या आगे की जांच के लिए गवाहों को वापस बुलाने की भी शक्ति है, लेकिन इसका प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इस प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा यदि अदालत का विचार है कि आवेदन कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में दायर किया गया है।"

(19) अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों से पूछताछ किए जाने के बाद, लेकिन एक आरोपी को अपना बचाव करने के लिए बुलाए जाने से पहले, एक आरोपी के खिलाफ लाई गई पूरी परिस्थितियों और साक्ष्य को आरोपी को समझाया जाता है। एक अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों को ऐसे मुकदमे में ध्यान में रखा जा सकता है और किसी अन्य जांच या अपराधों के लिए मुकदमे में उसके पक्ष या विपक्ष में साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है, जो इस तरह के उत्तरों से पता चलता है कि उसने अपराध किया है। इसका उद्देश्य अभियोजक और शिकायतकर्ता के वकील को आरोपी से पूछे जाने वाले प्रासंगिक प्रश्न तैयार करने में मदद करना है जो एक आरोपी के सामने रखे जाने की आवश्यकता है।

यह निर्विवाद है कि जिन गवाहों से अब पूछताछ करने की मांग की जा रही है, उन्हें वास्तव में अभियोजन पक्ष द्वारा सीआरपीसी की धारा 246(5) के तहत ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) के समक्ष बुलाया जा सकता था, हालांकि, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान पहले ही दर्ज होने के बाद उक्त प्रावधानों को लागू करना पासा पलटने के समान होगा।

(20) **राजाराम** के मामले (सुप्रा) के साथ-साथ **वी. एन. पाटिल** के मामले (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य से अवगत रहते हुए कि प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोई सबूत नहीं देने के लिए एक विशिष्ट बयान दिया था, इस तथ्य के साथ कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान भी दर्ज किया गया है ,

सतीश बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला पहले ही याचिकाकर्ता के सामने रखा जा चुका है और वह पहले ही अपने बचाव का खुलासा कर चुका है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का मामला उक्त गवाहों के साक्ष्य पर निर्भर नहीं है क्योंकि उक्त घटना के अन्य गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। केवल गवाहों की अतिरिक्त संख्या से कोई सुधार नहीं होगा। प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता द्वारा कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उक्त गवाहों की गवाही क्यों आवश्यक है और कैसे घायल/शिकायतकर्ता/पीड़ित की गवाही, जो पहले ही गवाह-बक्से में प्रवेश कर चुका है, मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और जिन गवाहों के बारे में दावा किया गया है कि वे घटना के बाद अपराध स्थल पर पहुंचे थे, वे अपराध या घटना की घटना को स्थापित करने के लिए अभिन्न और आवश्यक हैं। इसके अलावा, एक बार जब डॉक्टर के साथ-साथ पीड़ित/घायल के साथ अस्पताल जाने वाले व्यक्तियों में से एक की पहले ही जांच की जा चुकी है, तो मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए कैसे और किन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि घायलों के साथ अस्पताल जाने वाले अन्य गवाहों की भी जांच की जानी चाहिए ताकि उपचार के लिए अस्पताल लाए जाने के लिए प्रतिवादी संख्या 2-शिकायतकर्ता के तथ्य को साबित किया जा सके।

(21) सीआरपीसी की धारा 311 के तहत जिन गवाहों से पूछताछ करने की मांग की गई है, उनकी गवाही को को मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक नहीं दिखाया गया है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि गवाहों की गवाही की अनुपस्थिति किसी भी तरह से सत्य के निर्धारण में विफलता का कारण बनेगी। बल्कि, ऐसे गवाहों से पूछताछ करने का प्रयास अभियोजन पक्ष के मामले में खामियों को भरने का प्रयास प्रतीत होता है। प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता किसी भी गंभीर पूर्वाग्रह या न्याय की विफलता को स्थापित करने में विफल रहा है जो गवाहों से पूछताछ न करने के कारण होगा।

(22) मामले के दृष्टिगत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बहादुरगढ़ जिला झज्जर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 को निरस्त किया जाता है। वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है।

ऋतंभ्र ऋषि

अस्वीकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

विनती वशिष्ठ, अनुवादक, जिला न्यायालय, सोनीपत।